बिहार सरकार

उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन : 2013-14

वार्षिक कार्यक्रम : 2014-15

उद्योग विभाग
बिहार सरकार, पटना
Department of Industries
Government of Bihar, Patna

बिहार सरकार

संदेश

बिहार सरकार के उद्योग विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। सरकार के निरंतर प्रयास से राज्य उद्योग एवं उद्यमिता के विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। राज्य में उपलब्ध संसाधनों और आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में किये जा रहे कार्यों के फलस्वरूप उद्यमियों द्वारा पूँजी निवेश किया जा रहा है तथा नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की दिशा में लिए गए नीति मूलक निर्णय के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हुई है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत् उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी पर पूँजीगत अनुदान, वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति, डी0जी0सेट अनुदान, एम0एम0सी0 / एम0बी0ई0सी0 / डिमांड / बिलिंग डिमांड पर छूट तथा रूग्ण हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने इत्यादि पर अनुदान दिया जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम 25 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक इकाइयों का निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में पूँजीगत अनुदान वितरित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप पूँजी निवेश में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में अनेकों उद्योग स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा स्थापित होने के क्रमबद्ध स्थिति में है। इस प्रकार राज्य के संसाधनों पर आधारित उद्योग की संभावनाओं के कारण राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

हस्तकरघा बुनकरों के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना एवं तसर रेशम कृषकों के लिए मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना चलाई जा रही है। राज्य में मलवरी विकास के लिए एक विशिष्ट योजना ''मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना'' की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो कोशी क्षेत्र में वृक्षारोपण, उत्पादन, प्रशिक्षण एवं विपणन को बढ़ावा देकर रोजगार के सृजन में सहायक सिद्ध होगा। शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामानों को विपणन की सुविधा मुहैया कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत्, मध्यम प्रक्षेत्र एवं लघु उद्यम प्रक्षेत्र के लिए ₹47292.47 लाख निर्धारित योजना उदव्यय को बढ़ाकर ₹120292.47 लाख किया गया था।

उद्योग विभाग अपनी नीतियों में सफल होकर नये औद्योगिक बिहार का सपना साकार कर सके, इसके लिए हमें निरन्तर आपके द्वारा मूल्यांकन आधारित सहयोग अपेक्षित है।

शुभकामनाओं के साथ,

23M, स्ट्रैंड रोड, पटना–800015 0612–2215430, 2215431(O), 2231431(R) 08987033165 / 09431821975
: facebook/drbhimsingh1680 : drbhimsingh1680@gmail.com : drbhimsingh.com : @dr_bhimsingh

शिल्पोत्सव (दिनांक 2–9 अप्रैल, 2013) में पेपर मेसी कला की जीवन्त प्रदर्शनी

शिल्पोत्सव (दिनांक 2–9 अप्रैल, 2013) में सिक्की कला की जीवन्त प्रदर्शनी

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन–2013–14

एवं

वार्षिक कार्यक्रम–2014–15

वित्तीय वर्ष 2013-14 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- ❖ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा माह मार्च 2014 तक कुल 462 प्रस्ताव स्वीकृत।
  - ➢ 100 परियोजनाओं का उत्पादन प्रारंभ।
  - ➢ पूँजी निवेश ₹ 611.95 करोड़।
- ❖ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) के तहत आवेदन का ऑन-लाइन फाईलिंग एवं ऑन-लाइन ट्रैकिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 30.12.2013 को।
- ❖ खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में मार्च 2014 तक 254 परियोजनाओं के ₹ 3073.55 करोड़ पूँजी निवेश पर ₹ 590.78 करोड़ अनुदान स्वीकृत एवं ₹ 215.96 करोड़ विमुक्त किया गया है। 153 इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी हैं, शेष स्थापना के विभिन्न चरण में।
- ❖ बक्सर जिला में एक फूड पार्क परियोजना की स्थापना प्रारंभ।
- ❖ निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना स्वीकृत।
- ❖ मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना की स्वीकृति।
- ❖ विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा में बिजली खपत पर प्रति यूनिट ₹ 3.00 की दर से प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
- ❖ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निम्नांकित रियायतें/सुविधाओं के लिए राशि की प्रतिपूर्ति की गयी है:-
  - ➢ वैट की प्रतिपूर्ति ₹ 345.00 करोड़ वाणिज्य-कर-विभाग को आवंटित किया गया।
  - ➢ एम.एम.जी./ए.एम.जी. ₹ 125.00 करोड़ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को भुगतान किया गया
  - ➢ 33 इकाइयों को पूँजीगत अनुदान के रूप में ₹ 8.01 करोड़ वितरित।
  - ➢ 58 इकाइयों को डी.जी.सेट/कैप्टिव पावर प्लांट के अन्तर्गत कुल अनुदान ₹ 5.03 करोड़ वितरित।
- ❖ सर्वश्री गेल इण्डिया लि. और बिहार सरकार के बीच दिनांक 23.09.13 को एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित।
- ❖ बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन।
- ❖ मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के अधीन अब तक 4914 बुनकरों को नये करघे क्रय करने हेतु ₹ 589.96 लाख उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी गई।
- ❖ राज्य के बाँका, मुंगेर, नवादा एवं कैमूर जिले में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना हेतु ₹745.21 लाख की राशि स्वीकृत।
  - ➢ बांका, मुंगेर एवं कैमूर जिलों में 790.89 हेक्टर निजी भूमि पर आसन एवं अर्जुन के पौधे लगाये गये।
- ❖ कोशी एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र में मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना स्वीकृत।

- ❖ हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन हेतु नयी योजना स्वीकृत।
- ❖ लघु उद्योग प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 867 नई इकाइयाँ स्थापित।
  - ➢ नई इकाइयों की स्थापना में ₹ 25432.29 लाख का पूँजी निवेश तथा 10837 व्यक्ति नियोजित।
- ❖ बुनकर एवं दस्तकार आयोग का गठन किया गया।
- ❖ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को विकसित करने हेतु किये गये सार्थक प्रयास के अन्तर्गत संस्थान का सुदृढ़ीकरण तथा हस्तशिल्प से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 172.30 लाख स्वीकृत।
- ❖ दिनांक 14.12.13 से 23.12.13 तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के प्रांगण में अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया गया। इसके दौरान आयोजन में भाग लेने वाले शिल्पियों में से 20 सिद्धहस्त शिल्पियों को राज्य पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।
- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित मार्जिन मनी ₹ 12860.38 लाख राशि के विरुद्ध 3093 इकाइयों के बीच ₹ 7675.46 लाख मार्जिन मनी के रूप में वितरित।
  - ➢ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 19877 व्यक्ति नियोजित।
- ❖ बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर में टेक्सटाईल टेस्टिंग लैब/कैड भवन निर्माण के लिए ₹ 202.00 लाख स्वीकृत।

उद्योग विभाग

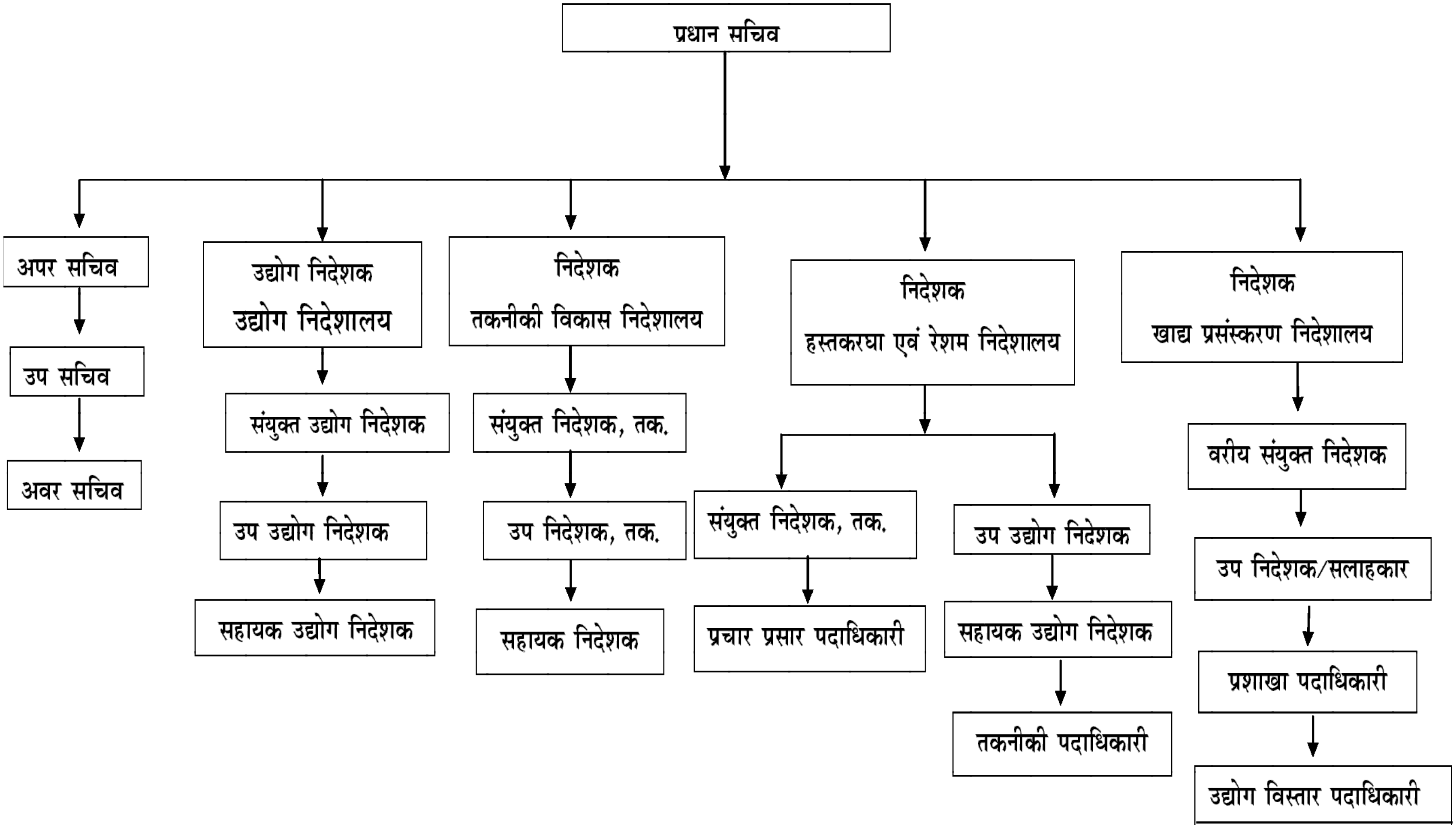

प्रधान सचिव
अपर सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय
संयुक्त उद्योग निदेशक
उप उद्योग निदेशक
सहायक उद्योग निदेशक
निदेशक
तकनीकी विकास निदेशालय
संयुक्त निदेशक, तक.
उप निदेशक, तक.
सहायक निदेशक
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
संयुक्त निदेशक, तक.
प्रचार प्रसार पदाधिकारी
उप उद्योग निदेशक
सहायक उद्योग निदेशक
तकनीकी पदाधिकारी
निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
वरीय संयुक्त निदेशक
उप निदेशक/सलाहकार
प्रशाखा पदाधिकारी
उद्योग विस्तार पदाधिकारी

उद्योग विभाग

की संगठनात्मक व्यवस्था-प्रशासकीय स्वरूप

उद्योग विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय है।

उद्योग निदेशालय

उद्योग निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए संयुक्त उद्योग निदेशक, उप उद्योग निदेशक एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं। निदेशालय का प्रमुख कार्य राज्य के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कार्यान्वित करना है। साथ ही उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना एवं इसके लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है।

जिला उद्योग केन्द्र

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु जिला स्तर पर एक मात्र संगठन है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र अवस्थित है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्रीय योजनाएँ यथाः- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, वैट की प्रतिपूर्ति हेतु पासबुक निर्गत करना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का उद्यमी ज्ञापन निर्गत तथा जिला स्तर पर जिलास्तरीय निवेश प्रोत्साहन पर्षद के माध्यम से इकाइयों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करना, उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना, जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण, जिला स्तरीय उद्योग संघों का समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना एवं उससे उनको लाभान्वित कर जिला के औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सिंगल विन्डो क्लियरेंस समिति का आयोजन जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते है, का कार्यान्वयन जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही साथ जिला के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्री पदाधिकारी महाप्रबंधक होते हैं तथा इनके सहायतार्थ कार्यकारी प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अर्थ अन्वेषक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी कनीय सांख्यिकी सहायक एवं अन्य कार्यालय कर्मी कार्यरत हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक को जिले के अन्दर सभी प्रकार की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदत्त है।

तकनीकी विकास निदेशालय

तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास, उद्यमिता विकास, गुणवत्ता एवं उत्पादकता तथा बृहत एवं मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश के प्रस्तावों का समन्वय एवं अनुश्रवण के साथ-साथ उद्यमियों को परियोजनाओं के चयन में परामर्श दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति के निर्धारण में भी तकनीकी विकास निदेशालय की प्रमुख भूमिका होती है। औद्योगिक

प्रोत्साहन नीति प्रक्रिया एवं इसका अन्तिम रूप तकनीकी विकास निदेशालय के देख-रेख एवं दिशा निर्धारण में दिया जाता है। राज्य में पूँजी निवेश के प्रोत्साहन एवं राज्य प्रस्तावों का अनुमोदन हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद गठित है, जिसका कार्यान्वयन तकनीकी विकास निदेशालय के द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

अत: इस पर्षद में दिये जाने वाले प्रस्तावों की समीक्षा एवं अनुश्रवण से संबंधित कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेल इण्डिया लिमिटेड और बिहार सरकार के बीच एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर हुआ है। जिसके तहत गैस पाईप लाईन जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) तक जायेगी, जिसमें बिहार के मुख्य चार जिलों यथा- कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया से गुजरेगी। यह कार्य तकनीकी विकास निदेशालय के देख-रेख में कार्यान्वित किया जा रहा है, जो प्रारंभिक स्तर पर है।

अमृतसर, दिल्ली कोलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर देश के 07 (सात) राज्यों यथा- पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। इन सातों राज्यों में कम-से-कम एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना 2500 एकड़ भू-खंड में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्य भी तकनीकी विकास निदेशालय के देख-रेख में कार्यान्वित किया जा रहा है, जो प्रारंभिक स्तर पर है।

इस निदेशालय के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी होते हैं, जिन्हें सहयोग करने हेतु उप निदेशक (तकनीकी), सहायक निदेशक (तकनीकी) एवं तकनीकी पदाधिकारी हैं।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के नियंत्रण में इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र का समुचित विकास एवं राज्य के रेशम/मलवरी उत्पादकों तथा बुनकरों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

इस निदेशालय में निदेशक के सहायतार्थ संयुक्त उद्योग निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं तकनीकी पदाधिकारी है। निदेशालय द्वारा हस्तकरघा एवं रेशम के विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है। साथ ही रेशम एवं हस्तकरघा विकास की योजनाओं का सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के सहकारी सहयोग समितियों का संगठन, नियंत्रण एवं वित्त पोषण आदि कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता है।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) कार्यालय भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में तथा रेशम प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) कार्यालय पटना/भागलपुर/ पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। इनके सहायतार्थ तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी पदस्थापित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय

राज्य में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा भिजन डॉक्युमेन्ट-15 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विकास के लिए अनवरत प्रयास करना है। इसी मूल मंत्र का ध्यान में रखते हुये राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर

के उद्यमियों को राज्य में निवेश करने एवं उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से उद्योग विभाग के सतत प्रयास से राज्य सरकार ने समेकित खाद्य प्रसंस्करण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वित करने हेतु इंटीग्रेटेड फूड जोन योजना एवं इंटीग्रेटेड डेभलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेन्टर योजना तथा फूड पार्क को शामिल किया गया है।

इस निदेशालय में निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण को वरीय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिये गये हैं तथा सफल कार्यान्वयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

❖ राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पर्षद् विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एक करोड़ के ऊपर के प्रस्ताव पर अनुमोदन दी जाती है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 तक कुल 1551 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें ₹ 281770.17 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इस अवधि में अबतक कुल 192 परियोजनाओं की स्थापना हो चुकी है तथा जिसमें कुल ₹ 5678.19 करोड का पूँजी निवेश हुआ है एवं 10239 व्यक्ति नियोजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 181 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा वर्ष 2013-14 में 410 प्रस्तावों पर अनुमोदन दी गई जिसमें ₹ 2920.9547 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इस अवधि में 100 परियोजनाएं कार्यरत हुई है तथा ₹ 661.95 करोड का पूँजी निवेश हुआ है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (SIPB) के तहत आवेदन का ऑन-लाइन फाईलिंग एवं ऑन-लाइन ट्रैकिंग करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 30.12.2013 को राजगीर के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर में आयोजित उद्यमी पंचायत के अवसर पर की गयी।

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उद्यमी पंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 29.04.2013 को पर्यटन प्रक्षेत्र के उद्यमियों के साथ, दिनांक 30.09.2013 को विनिर्माण प्रक्षेत्र के उद्यमियों के साथ एवं दिनांक 30.12.2013 को कन्स्ट्रक्शन प्रक्षेत्र के उद्यमियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उद्यमी पंचायतों में उठाये गये समस्याओं के निदान हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2013-14 में 49 मामले आये और 31 मामलों का निष्पादन किया गया।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत वर्ष 2006 से उद्यमियों के बीच उद्योग स्थापित करने में रुचि बढ़ी है। प्रत्येक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों में उद्योग स्थापना हेतु अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें भूमि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2006 के बाद लगातार कार्यरत इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2005 तक मात्र 1120 इकाइयों को भूमि आवंटित थी, वहीं वर्त्तमान में कुल 2516 इकाईयों को भूमि आवंटित है। उत्पादनरत इकाइयों की संख्या 270 से बढ़कर 1194 हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अब तक 146 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित किया गया है।

विभागीय योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

उद्योग विभाग के अन्तर्गत बृहत, मध्यम उद्योग प्रक्षेत्र तथा ग्रामीण/लघु उद्योग प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में मूल योजना उदव्यय ₹ 452.92 करोड़ एवं पुनरीक्षित उदव्यय ₹ 11387.14 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध कुल ₹ 101474.61 लाख व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य रूप से उद्योगों को प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं हेतु ₹ 500.00 करोड़, हस्तकरघा प्रक्षेत्र हेतु ₹ 35.00 करोड़, भू-अर्जन हेतु ₹ 530.00 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोत्साहन हेतु ₹ 30.00 करोड़, रेशम विकास हेतु ₹ 25.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वृहत एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र

❖ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति

राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ विद्यमान उद्योगों के विस्तारण एवं पुनर्जीवित करने के लिए समुचित वातावरण तैयार कर राज्य के औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य के अन्दर नियोजन के साथ-साथ राज्य के लोगों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति-2011 को दिनांक 01.07.2011 से लागू की गई। इस नीति के अन्तर्गत राज्य के उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाएँ निम्नवत है:-

❖ उद्यमियों को उत्पादन पूर्व मिलने वाली सुविधाएँ:-

- ➢ स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट

❖ व्यावसायिक उत्पादन के बाद मिलनेवाली सुविधाएँ:-

- ➢ परियोजना प्रतिवेदन पर प्रोत्साहन
- ➢ बियाडा अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड/शेड पर दी जानेवाली सुविधा
- ➢ तकनीकी जानकारी शुल्क पर आर्थिक सहायता
- ➢ डी.जी.सेट/कैपटिव पावर प्लांट/गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत की स्थापना पर प्रोत्साहन/अनुदान
- ➢ एम.एम.सी./एम.बी.ई.सी./डिमांड/बिलिंग डिमांड पर छूट
- ➢ प्लांट एवं मशीनरी पर पूँजीगत अनुदान
- ➢ गुणवता प्रमाणन पर प्रोत्साहन

❖ कर संबंधी सुविधाएँ:-

- ➢ वैट एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति
- ➢ एम.एस.एम.ई. उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री पर सी.एस.टी. पर 01 प्रतिशत की छूट।
- ➢ लग्जरी टैक्स में सात वर्षों के लिए छूट।
- ➢ विद्युत शुल्क पर सात वर्षों के लिए शत-प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
- ➢ भूमि सम्परिवर्तन में शत-प्रतिशत की छूट।

- **अन्य सुविधाएँ:-**
  - ➢ उद्योग पुनर्वास निधि
  - ➢ अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/नियुक्ति उद्यमियों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति
  - ➢ रोजगार सृजन अनुदान
  - ➢ विस्तारण/विशाखण/आधुनिकीकरण करने वाले इकाइयों को सुविधा
  - ➢ रुग्ण एवं बंद इकाइयों को सुविधा
  - ➢ हस्तकरघा प्रक्षेत्र को सुविधा
- वित्तीय वर्ष 2013-14 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत निम्न सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है:-
  - ➢ स्टाम्प ड्यूटी के अन्तर्गत 96 इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क में छुट हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया।
  - ➢ राज्य के 58 इकाइयों को डी.जी. सेट/कैपटिव पावर प्लांट अन्तर्गत अनुदान के रूप में ₹ 5.03 करोड़ की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त की गई है।
  - ➢ कुल 33 इकाइयों को पूँजीगत अनुदान के रूप में ₹ 8.01 करोड़ की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त की गई।
  - ➢ वैट की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 345.00 करोड़ वाणिज्यकर विभाग को उपलब्ध करा दी गयी।
  - ➢ ए.एम.जी. एवं एम.एम.जी. के अंतर्गत छूट प्रदान करने हेतु ₹ 125.00 करोड़ राशि बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कंपनी लि., पटना को उपलब्ध कराई गयी।

  वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु ₹ 30000.00 लाख स्वीकृत किया गया है।
- **खाद्य प्रसंस्करण हेतु विकासात्मक योजनाएँ**

  खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समेकित विकास हेतु निजी निवेशकों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.00 करोड़ तथा कॉमन कलस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु स्पेशल परपस भेहिकिल (एस.पी.भी.) को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

  अबतक इस योजनान्तर्गत कुल 254 परियोजनाओं का डी.पी.आर. स्वीकृत किया गया है जिसमें 153 परियोजनाओं में व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कुल 19934 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

  वित्तीय वर्ष 2013-14 में (मार्च 2014 तक) 152 परियोजनाओं के लिए ₹ 657.53 करोड़ अनुदान स्वीकृत करते हुए ₹ 223.47 करोड़ अनुदान विमुक्त किया गया है।

  बक्सर जिला में एक फूड पार्क परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

  वित्तीय वर्ष 2013-14 में देय अनुदानों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3000.00 लाख स्वीकृति प्राप्त हुई।

❖ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। बिहार में उद्योग मित्र को, उद्योग विभाग इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में चयन किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 856.00 लाख एवं राज्य सरकार के अंशदान ₹ 380.66 लाख विमुक्त किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत राशि ₹ 907.00 लाख के विरुद्ध ₹ 229.00 लाख की राशि प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किया गया है। अबतक कुल ₹ 809.84 लाख की राशि अनुदान के रूप में वितरित की गई है।

❖ भूमि बैंक

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कार्यनीति (Strategy) के अन्तर्गत भूमि बैंक के अधीन कॉरपस/रिवाल्विंग फंड के लिए निर्धारित अधिसीमा ₹ 15.00 (पन्द्रह) अरब को बढ़ाकर ₹ 25.00 (पचीस) अरब करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2013-14 तक इस भूमि बैंक हेतु ₹ 1649.86 (सोलह अरब उन्चास करोड़ पचीस लाख छप्पन हजार) करोड़ आयडा को उपलब्ध कराया गया है।

❖ संभाव्यता प्रतिवेदन/परियोजना प्रतिवेदन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सम्यक् विकास हेतु भिजन डॉक्युमेन्ट-2015 में संभावनाओं के आधार पर 16 विजनेस प्लान की अनुशंसा की गयी है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की परियोजनाओं हेतु चार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेन्सी (पी.एम.ए.) आई.एल. एण्ड एफ.एस.-सी.डी.आई., श्रेयी, दारा शॉ एवं स्पा संविदा पर नियुक्त है। जिनका कार्य परियोजनाओं के कॉनसेप्चुलाइजेशन से लेकर इम्पलिमेन्टेशन तक का है। इन्हें जागरूक उद्यमी की पहचान, स्थल चयन, एस.पी.भी. का गठन एवं चयन, तकनीकी का स्रोत, बाजार लिकेंज, डी.पी.आर. तैयार करना, योजना स्वीकृत कराना, अनुदान उपलब्ध कराना तथा सरकार को योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता आधारित परामर्श देना है। उक्त कार्य हेतु प्रोजेक्ट मोनिटरिंग एजेन्सी (पी.एम.ए.) को परियोजना लागत का दो प्रतिशत शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसमें से एक प्रतिशत परियोजना विकास एवं कार्यान्वयन शुल्क के रूप में तथा शेष एक प्रतिशत सफलता शुल्क के रूप में परियोजना के पूरी होने पर किया जाता है। अबतक 229 परियोजनाओं का डी.पी.आर. अनुमोदित किया गया है। डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कन्सलटेन्सी शुल्क का भुगतान हेतु खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के लिए ₹ 467.12 लाख स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रेशम विकास योजनाओं का डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कन्सल्टेन्सी शुल्क भुगतान हेतु ₹ 5.50 लाख, तथा वेस्ट लैंड मैपिंग हेतु 26.23 लाख स्वीकृत किया गया है।

❖ औद्योगिक अभियान

राज्य में औद्योगिकीकरण में तीव्रता एवं अधिक से अधिक पूँजी निवेश हो इसके लिये राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर के इच्छुक निवेशकों एवं उद्यमियों को राज्य में उपलब्ध औद्योगिक आधारभूत

संरचनाओं/सुविधाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध करना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित नीतियों यथा नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, समेकित खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना, निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास की योजना आदि की जानकारी देने से संबंधित संगोष्ठियाँ/सेमिनार/कार्यशाला/रोड शो का आयोजन किया जाता है, ताकि राज्य में विभिन्न प्रक्षेत्रों के उद्योगों में पूँजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु ₹ 100.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

❖ टूल रूम

लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पटना एवं इंडो डेनिस टूल रूम जमशेदपुर के विस्तार केन्द्र के रूप में टूल रूम की स्थापना कुल अनुमानित लागत ₹ 1210.269 लाख पर स्वीकृति प्रदान की है। यह विस्तार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के परिसर में स्थापित किया जाना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के परिसर में 2 एकड़ भूमि में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में टूल रूम के लिए ₹ 500.00 लाख स्वीकृत की गयी है।

लघु उद्यम प्रक्षेत्र

❖ जिला उद्योग केन्द्र

औद्योगिकीकरण के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास का कार्य के साथ-साथ विभागीय योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 (मार्च 2014 तक) लघु उद्योग प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 867 नई इकाइयां स्थापित किया गया है, जिसमें ₹ 25432.29 लाख का पूँजी निवेश किया गया है तथा 10837 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 12860.38 लाख मार्जिन मनी के विरुद्ध बैंकों के माध्यम से 3093 उद्यमियों के बीच ₹ 7675.46 लाख मार्जिन मनी वितरित किया गया तथा 19877 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया गया है।

❖ हस्तशिल्प प्रक्षेत्र का विकास

➢ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना की योजना

हस्तशिल्प के विकास हेतु राज्य में एक शीर्षस्थ हस्तशिल्प संस्थान के रूप में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है। संस्थान को विकसित करते हुए उन्नत एवं आधुनिक स्तर के हस्तशिल्प डिजाइन के लिए आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के साथ-साथ कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन लैब की व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश की मांग के अनुरूप हस्तशिल्प के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक डिजाइन विकसित कर राज्य के शिल्पियों को नई तकनीकी एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिनांक 14 से 23 दिसम्बर 2013 तक संस्थान के परिसर में ''शिल्पोत्सव'' मेला

लगाया गया। जिसमें हस्तशिल्प राज्य पुरस्कार योजनान्तर्गत राज्य के कोने-कोने से आये 150 हस्तशिल्पियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया एवं राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्पियों का एक पैनल बनाकर विजेताओं का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 20 (बीस) सिद्धहस्त शिल्पियों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करते हुए ताम्र-पत्र एवं तेईस हजार नगद स्वरूप तथा अंगवस्त्र प्रदान किया गया।

क्राफ्ट बाजार में राज्य के 100 हस्तकरघा एवं हस्तशिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित करते हुए मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हस्तकरघा प्रक्षेत्र से 03 एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र से 03 उत्कृष्ट स्टॉल का चयन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संस्थान के विभिन्न ट्रेडों में यथा कशीदा, वेणु शिल्प, पेपरमेशी, मृणमय, मधुबनी पेंटिंग आदि का राष्ट्रीय स्तर के शिल्पियों के द्वारा पाँच दिवसीय डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के लगभग 200 शिल्पियों को लाभान्वित किया गया।

राज्य में हस्तशिल्प के विकास हेतु एक शीर्षस्थ हस्तशिल्प संस्थान के रूप में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के विभिन्न जिलों/स्थानों यथाः- भागलपुर/पत्थरकट्टी(गया)/गया/मंगरौनी, जितवारपुर (मधुबनी) /सलेमपुर (मधुबनी)/गौरोल (वैशाली)/पटना/ समस्तीपुर/रैयाम(मधुबनी) क्रमशः मंजुषा शिल्प/पाषाण शिल्प/काष्ठ शिल्प/टेराकोटा/मधुबनी पेंटिंग/ पेपरमेशी/सुजनी/एप्लिक/ वेणुशिल्प/सिक्की कला शिल्पों में एन.आई.डी., अहमदाबाद के सहयोग से ''डिजाइन क्लीनिक प्रोगाम'' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 400 शिल्पियों को नये-नये डिजाइन का प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु कुल ₹179.30 लाख स्वीकृत किया गया है।

➢ पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया की योजना (स्थापना)

राज्य के अंतर्गत पाषाण शिल्प के विकास के लिये यह एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पाषाण शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण, पर्याप्त सहायता एवं मार्गदर्शन देकर उन्हें रोजगारोन्मुख करना है। इस योजना से पाषाण शिल्प से जुड़े सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। सैकड़ों प्रशिक्षित शिल्पी पाषाण शिल्प कला से अपनी जीविका चला रहे हैं। स्थानीय क्षेत्रों में उक्त शिल्प के कारीगरों की काफी बहुलता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी भवन उपलब्ध है। पाषाण कला की बाजार को देखते हुए इस संस्थान के विकास हेतु सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन कर विकास करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2013-14 में स्थापना व्यय पर ₹0.79 लाख राशि व्यय की गयी।

➢ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ इण्डियन ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाईजेशन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा विभिन्न राज्य में उत्पादित सामानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना तथा व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष माह नवंबर (14-27 नवंबर) में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है।

उक्त मेला में देश-विदेश के सरकारी/गैर सरकारी विभाग/प्रतिष्ठान, संस्थान, निगम एवं अन्य व्यवसायिक संस्थान भाग लेते हैं। देश के सभी राज्य, निजी एवं सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान अलग-अलग मंडपों में अपने क्षेत्र की प्रगति, विकास एवं व्यवसाय से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करते हैं। सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों का अपना स्थायी/अस्थायी मंडप प्रगति मैदान, नई दिल्ली में निर्मित है। प्रत्येक वर्ष मेला का थीम (उत्कृष्ट विषय) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाईजेशन द्वारा परिवर्तित एवं निर्धारित किया जाता है। इसी निर्धारित थीम के अनुरूप ही मंडप की बाह्य एवं आंतरिक सजावट तथा प्रदेशों के प्रदर्शन एवं बिहार की औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ राज्य के सर्वांगीण विकास को बिहार मंडप के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत दिनांक 14-27 नवम्बर-2013 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में विभाग द्वारा भाग लिया गया, जिसमें सरकारी/गैर सरकारी कुल 45 नि:शुल्क स्टॉल लगाये गये जिसमें राज्य के विकास कार्यों के साथ साथ हस्तकरघा एवं रेशम, हस्तशिल्प उत्पादित सामानों तथा खाद्य पदार्थ का बिक्री-सह-प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु ₹ 139.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

➢ प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों को देश में पूँजी निवेश करने एवं देश में औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 07-09 जनवरी तक में देश के किसी भी महानगर में आयोजित किया जाता है। इस वार्षिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीय को भारत/राज्य से जोड़ने/ राज्य में निवेश कराने हेतु एक ग्लोबल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। बिहार सरकार भी अन्य राज्यों की भाँति अपने मंडप (स्टॉल) के माध्यम से प्रवासी भारतीय को राज्य के विकास कार्यों/ प्रगति /विभिन्न प्रक्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु अवसर से अवगत करायी जाती है।

प्रवासी भारतीय दिवस दिनांक 07-09 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य की ओर से उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया गया एवं बिहार में विभिन्न प्रक्षेत्रों में पूँजी निवेश हेतु ब्रोशर के माध्यम से नीतियों के संबंध से प्रवासी भारतीय/बिहारियों को अवगत कराते हुए राज्य में पूँजी निवेश हेतु आमंत्रित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना हेतु ₹ 30.00 लाख स्वीकृत किया गया है।

➢ बिहार उत्सव

सरकार ने बिहार राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिसके आलोक में राज्य के राजधानी पटना एवं अन्य सभी जिलों के साथ-साथ राज्य के बाहर नई दिल्ली में भी बिहार उत्सव का आयोजन किया जाता है। बिहार उत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व, आधुनिक एवं विकसित बिहार के निर्माण में सतत् प्रयास, राज्य के कुशल कारीगरों का

हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा में प्रवीणता एवं वर्तमान में बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यान्वित योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है।

आई.एन.ए., दिल्ली हाट, नई दिल्ली में दिनांक 20-27 मार्च, 2014 तक बिहार उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक की गयी। जिसमें हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के 25 स्टॉल एवं बिहारी व्यंजन के लिए 05 स्टॉल निःशुल्क आवंटित किये गये।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त योजना हेतु कुल ₹ 149.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

➢ राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना

राज्य के ऐतिहासिक स्थानों यथा सोनपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला, मलमास मेला (राजगीर), बौद्ध महोत्सव (बोध गया), वैशाली महोत्सव (वैशाली), कोशी महोत्सव (सहरसा), सिंघेश्वर स्थान (मधेपुरा) इत्यादि स्थानों पर वार्षिक मेला/प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य के लघु उद्योग शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित कुछ चुनिन्दा मेला/प्रदर्शनी के आयोजनों में भी उद्योग विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चत करती है।

राज्य के ऐतिहासिक स्थानों यथा सोनपुर, सिंघेश्वर स्थान, राजगीर महोत्सव, गया, कोशी महोत्सव तथा पटना में इसका सफल आयोजन किया गया जहाँ पर हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा प्रक्षेत्र के शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित करते हुए विपणन की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस हेतु कुल ₹ 60.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है।

➢ प्रचार एवं प्रकाशन

प्रचार एवं प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास से संबंधित जानकारियों का प्रचार-प्रसार तथा बुकलेट, पुस्तिका प्रकाशन, बुलेटिन, प्रोजेक्ट-प्रोफाईल आदि प्रकाशित कर ब्रोशर के माध्यम से उद्यमियों के बीच प्रचारित कराकर औद्योगिक विकास की गति को तीव्रतर कराना मुख्य उद्देश्य है। आयोजित विभिन्न मेला एवं प्रदर्शनी में स्टॉल कैंप कर बुलेटिन, ब्रोशर, बुकलेट निःशुल्क वितरित कराया जाता है, ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी पूँजी निवेश के लिये आकर्षित एवं प्रोत्साहित हो सके।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस योजना हेतु ₹ 50.00 लाख स्वीकृत है।

➢ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास की योजना :-

राज्य में कई क्षेत्रों में पारंपरिक तरीकों से लोग सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का उत्पादन कर रहे हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जो गरीबी के कारण केन्द्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना अंशदान नहीं दे पाते हैं। उनको लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/कारीगरों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुति को आकर्षक बना सकें, जिससे ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, और इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके इसके

लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना' के अंतर्गत 'सामान्य सुविधा केन्द्र' की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई।

इसमें राज्य सरकार तथा स्पेशल परपस भेहिकल (एस.पी.भी.) का अंशदान क्रमश: 90% (अधिकतम सीमा ₹10.00 करोड़) एवं 10% होगा।

विशेष परिस्थिति में यदि कलस्टर के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार के अनुमोदन से सामान्य सुलभ केन्द्र की स्थापना हेतु 100% तक अनुदान दिया जा सकेगा।

योजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

परियोजना जिसकी लागत ₹2.50 (ढाई करोड़) तक की हो, पर जिला स्तरीय समिति द्वारा तथा इससे अधिक की परियोजना पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

➢ निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु योजना

राज्य में औद्योगिक विकास के क्रम में उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्पनी एक्ट/सोसाईटी एक्ट के तहत् निबंधित स्पेशल परपस भेहिकल (एस.पी.भी.) के माध्यम से न्यूनतम 25 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक इकाइयों का निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

निजी औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु वैसे भू-धारी जो अपना जमीन देना चाहते है, वे एक स्पेशल परपस भेहिकल (एस.पी.भी.) का गठन करते हुए पूरे जमीन का मालिकाना हक स्पेशल परपस भेहिकल (एस.पी.भी.) को स्थानांतरित करेंगे। इस भू-हस्तानांतरण पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क/सम्परिवर्त्तन शुल्क का छूट दिया जायेगा।

➢ हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद की विपणन की व्यवस्था :-

हथकरघा और हस्तशिल्प देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रदान कर रहा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक छवि में हथकरघा एवं हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत का बड़ा योगदान रहा है। अतीत में हथकरघा एवं हस्तशिल्प की विविधता भले ही देश के किसी भी कोने में स्थित गाँव में आम दैनंदिन की गतिविधि रही हो, लेकिन अब बदलती हुई परिस्थितियों में यह उतनी आम नहीं रह गयी है, अपितु यह तेजी से आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन रही है। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प के बाजार विस्तार की व्यापक संभावनायें पैदा हुई है। बुनकर और शिल्पी समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े है। अधिकांश हस्तकरघा एवं शिल्पी इकाइयाँ गाँव तथा छोटे कस्बे में स्थित है। उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद की विपणन की व्यवस्था नामक योजना प्रारंभ की गयी है।

इस योजना के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य है कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के बुनकरों/शिल्पियों को स्थायी विकास के लिए उन्हें एक समृद्ध बाजार तथा उनके उत्पादों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि

के साथ-साथ उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना है। साथ ही साथ राज्य के बाहर पलायन करने वाले शिल्पियों/बुनकरों को रोकना।

निर्धनतम शिल्पियों/बुनकरों के हितों का ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क स्टॉल/जगह उपलब्ध कराना।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा।

मधुबनी चित्रकला अथवा मधुबनी पेंटिंग पर आधारित शिल्प बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक समृद्ध परम्परा है। जिसे अगर और व्यावसायिक बनाया जाय, तो यह विदेशी आय का एक बड़ा स्रोत बनकर उभर सकता है। इस व्यवसाय में जुड़ी हुई तमाम गतिविधियाँ घरेलू महिलायें द्वारा ही अधिकाशत: की जाती है तथा महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त आयोजन हेतु ₹ 200.00 लाख अनुमानित व्यय की स्वीकृत प्रदान की गयी।

❖ हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास

➢ मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना

औद्योगिक पुनर्निर्माण में कृषि प्रक्षेत्र के बाद हस्तकरघा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तकरघा के क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों के समग्र विकास के लिए ₹150.25 करोड़ की लागत पर मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास की नई महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2012-13 से राज्य योजना मद से प्रारंभ की गई है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों 2012-13 से 2015-16 तक में पूर्ण होगी, जिसके अन्तर्गत चौबीस हजार बुनकरों को नये करघे का क्रय एवं कच्चे माल क्रय हेतु कॉरपस मनी तथा आठ हजार बुनकरों को प्रकाशयुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु कर्मशाला निर्माण के लिए सहायता राशि लाभुक बुनकरों को सीधे खाते में हस्तानान्तरित किये जायेंगे। साथ ही बुनकरों को प्री-लूम एवं पोस्ट-लूम की सुविधा के लिए बुनकर बाहुल्य कलस्टरों में चालीस सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना, यार्न डिपो के माध्यम से अनुदानित दर पर सूत की आपूर्ति तथा उत्पादित वस्त्रों के विपणन के लिए छ: बुनकर हाट (100 स्टॉल का एक एवं 50-50 स्टॉल का पाँच) स्थापित किये जायेंगे। इस योजना से हस्तकरघा वस्त्र उद्योग के लिए विकसित आधारभूत संरचना के साथ-साथ प्री-लूम, पोस्ट-लूम एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बुनकरों के नियोजन एवं आय में वृद्धि होगी एवं इस उद्योग से और भी बुनकर जुड़े पायेंगे और बिहार के हस्तकरघा वस्त्रों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन पाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकरी द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अधीन अब तक 4914 बुनकरों को नये करघे क्रय करने हेतु ₹589.96 लाख उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी गई है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए ₹ 897.75 लाख स्वीकृत की गई है।

➢ हस्तकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज योजना

केन्द्र प्रायोजित इस योजना का मूल उद्देश्य शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के उनके बैंक ऋण

के साथ-साथ सभी देनदारियाँ समाप्त करना है ताकि उन्हें बैंक से नये ऋण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हो तथा सभी देनदारियों से मुक्त हो, वे नये सिरे से कार्य प्रारम्भ कर सके।

इस योजनान्तर्गत व्यक्तिगत हस्तकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त जबावदेह समूहों के लाभार्थी बुनकर को मूलधन और ब्याज सहित अधिकतम ₹50,000/- तक के ऋण माफी का प्रावधान है।

संबंधित बैंक उस लाभार्थी को ₹20,000/- या इससे अधिक का नया ऋण देगी। यदि वह बैंक उस लाभार्थी को साथ-साथ नया ऋण देने को इच्छुक नहीं है तो उस लाभार्थी को ऋण माफी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋण जो 31.03.2010 को अतिदेय (Overdue) हो गया हो का मूलधन 100% तथा ब्याज 25% की माफी का प्रावधान है। ऐसे मामले में ऋण दाता संस्थान अतिदेय ब्याज का 75% और सम्पूर्ण दण्डात्मक ब्याज माफ करेंगे। शेष राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी

शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति	**केन्द्र/राज्य का अंशदान**
शीर्ष/बुनकर सहकारी संघ	75:25
प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, व्यक्तिगत बुनकर, मास्टर बुनकर एवं स्वयं सहायता समूह	80:20

वर्ष 2010-11 तक अंकेक्षित 181 शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के विशेष अंकेक्षण एवं उनके अभिलेख के जाँच के उपरान्त एक शीर्ष बुनकर सहकारी संघ तथा 123 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की पहचान Potentially Viable के रूप में की गई है, जिनके अन्तिम रूप से दावा राशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अब तक एक शीर्ष बुनकर सहकारी संघ तथा 123 प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के लिए ₹2,56,58,072/- (दो करोड़ छप्पन लाख अंठावन हजार बहत्तर) की स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2013-14 में 1606 व्यक्तिगत बुनकरों को ₹2,83,78,648/- (दो करोड़ तिरासी लाख अठहत्तर हजार छः सौ अड़तालिस) के ऋण माफी का लाभ दिया गया है।

इस योजना का कार्यान्वयन महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, नाबार्ड, पटना एवं सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, पटना द्वारा किया जाता है।

➢ समेकित हस्तकरघा विकास की योजना

केन्द्र प्रायोजित इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इस योजनान्तर्गत कलस्टर के बुनकरों के साथ-साथ ग्रुप एप्रोच के बुनकरों को बेस लाइन सर्वे, फोरमेशन ऑफ कन्सोर्टियम, यार्न डिपो, डिजाईन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कॉमन फैसिलिटि

सेंटर, डाईहाउस, पब्लिसिटी मार्केटिंग, बेसिक इन्पुट, स्कील अपग्रेडेशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना से बुनकरों का कौशल विकास होगा तथा वे वस्त्र बुनाई के आधुनिक तकनीक से परिचित होंगे। साथ ही उन्हें वस्त्र बुनाई हेतु एक उपयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध होगा। बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र के गुणवत्ता में सुधार होगा तथा हस्तकरघा वस्त्रों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी।

इस योजना के अन्तर्गत अबतक 15 हस्तकरघा कलस्टर तथा 6 ग्रुप एप्रोच प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना का कार्यान्वयन महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, पटना द्वारा किया जाता है।

केन्द्र प्रायोजित समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत शाहकुण्ड (भागलपुर), कलस्टर के लिए द्वितीय किश्त की केन्द्रांश राशि ₹ 14.56 लाख एवं द्वितीय किश्त की राज्यांश राशि ₹ 0.96 लाख सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

➢ बुनकरों तथा सहायक कार्यों के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

केन्द्र प्रायोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा बुनकरों को बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा हेतु सक्षम बनाना है।

इस योजनान्तर्गत एक दिन से 80 वर्ष तक के पुरुष/महिला बुनकर को अधिकतम दो बच्चों सहित बीमित किया जाता है जिसके तहत प्रति बीमित परिवार को मातृत्व लाभ, आँख, दाँत जाँच एवं चिन्हित अन्य बीमारियों के लिए अधिकतम ₹15,000.00 मूल्य तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। यह लाभ ₹7,500/- ओ.पी.डी. एवं ₹ 7,500/- आई.पी.डी. के लिए देय है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 46,300 बुनकरों के हेल्थ कार्ड का नवीकरण किया गया है।

योजना का कार्यान्वयन आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड, जेनेरल इंश्योरेन्स कम्पनी, पटना द्वारा किया जाता है।

➢ महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

केन्द्र प्रायोजित इस योजना का मूल उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में हस्तकरघा बुनकरों सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजनान्तर्गत पुरुष/महिला बुनकर के लिए पात्रता की उम्र सीमा 18 से 59 वर्ष है। लाभार्थी बुनकर को दिये जाने वाले लाभ निम्न प्रकार है:-

योजना का लाभ :-

प्राकृतिक मृत्यु	60,000/-
दुर्घटनावश मृत्यु	1,50,000/-
सम्पूर्ण स्थायी अपंगता	1,50,000/-
सम्पूर्ण आंशिक अपंगता	75,000/-

योजनान्तर्गत प्रति बुनकर वार्षिक प्रिमियम :-

क्रम सं.	अभिकरण	अंशदान
1.	भारत सरकार का अंशदान	290/-
2	भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान	100/-
3	बुनकर का अंशदान	80/-
	कुल	470/-

वित्तीय वर्ष 2013-14 से बुनकर अंशदान की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में लक्ष्य 1500 के विरुद्ध 654 बुनकरों को बीमित किया गया है।

योजना का कार्यान्वयन महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, पटना द्वारा किया जाता है।

➢ बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना

केन्द्र प्रायोजित इस योजना का मूल उद्देश्य हस्तकरघा बुनकरों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अनुदानित ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि बुनकरों को वस्त्र बुनाई के दौरान उत्पन्न छोटी-छोटी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो सके।

इस योजनान्तर्गत प्रति बुनकर को ₹ 60,000 से ₹ 2,00,000/- तक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्रावधान है। ऐसे ऋण पर लाभार्थी बुनकर को तीन वर्षों के लिए 6% अधिकतम 7% ब्याज अनुदान तथा ₹ 10,000/- मार्जिन मनी दिये जाने का प्रावधान है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में लक्ष्य 5000 के विरुद्ध 409 बुनकरों को क्रेडिट कार्ड राशि ₹ 1,45,57,500/- (एक करोड़ पैंतालिस लाख संतावन हजार पाँच सौ) का वितरण किया गया है।

योजना का कार्यान्वयन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नाबार्ड, पटना द्वारा किया जाता है।

➢ विद्युत टैरिफ योजना

यह एक चालू योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत करघा द्वारा वस्त्र बुनाई के लिये बिजली खपत पर दिनांक 31.01.2014 तक अनुदान ₹ 1.50 प्रति यूनिट की दर से तथा दिनांक 01.02.14 से अनुदान दर में वृद्धि कर ₹ 3.00 प्रति यूनिट कर दी गई है। दिनांक 01.02.14 से उर्जा विभाग द्वारा दिये

जाने वाले विद्युत विपत्र में ₹3.00 प्रति युनिट पर छूट देकर विपत्र दिया जा रहा है। इस योजना से विद्युतकरघा प्रक्षेत्र में वस्त्र बुनाई का लागत व्यय में कमी आती है। योजना के कार्यान्वयन से विद्युतकरघा क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों के रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ आय में वृद्धि हुई है एवं रोजगार में स्थायित्व प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजनान्तर्गत 500 विद्युतकरघा इकाइयों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है जिसके लिये पुनरीक्षित अनुदान दर पर ₹ 68.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➢ जूट पार्क योजना

जूट पार्क की योजनान्तर्गत मरंगा, पूर्णिया में ₹42.365 करोड़ के अनुमानित लागत पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित जूट पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.पी.भी. सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि. को 44.296 एकड़ भूमि बियाडा द्वारा आवंटित की गयी है। जूट पार्क मरंगा, पूर्णिया में निम्नांकित तीन इकाइयाँ स्थापित एवं उत्पादनरत है।

क्र.	इकाई का नाम	उत्पाद
1	सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि.	धागा/सूत
2	सर्वश्री तिरुपती कम्पनी प्रा.लि.	महीन धागा/वस्त्र
3	सर्वश्री पर्पल क्रियेशन	कालीन, मैट

डाईंग और ब्लीचींग ईकाई के लिए शेड बनने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

राज्य के इक्विटी के रूप में भूमि मूल्य की राशि बियाडा को भुगतान किया जाना है। पी.पी.पी. मोड पर जूट पार्क, मरंगा, पूर्णिया की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार की इक्विटी भूमि के रूप में उपलब्ध कराने हेतु भूमि मुहैया की राशि ₹167.28 लाख का 20 प्रतिशत ₹50.184 लाख प्रथम किशत में भुगतान किया गया तथा शेष 70 प्रतिशत अगले सात वर्ष में 10 प्रतिशत की दर ₹16.728 लाख दिया जाना है। अबतक 2010-11 से 2013-14 तक चार किस्तों में ₹ 66.912 लाख विमुक्त किया गया है।

❖ रेशम प्रक्षेत्र का विकास

➢ मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना

ग्रामीण आबादी को स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित कर उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में तसर खाद्य पौधा रोपण, कीट पालन, सूत उत्पादन के विकास के लिए राज्य के बांका, मुंगेर, नवादा एवं कैमुर जिले में तसर क्षेत्र के विकास के लिए ₹170.90 करोड़ के लागत से तसर विकास की एक महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना वर्ष 2012-13 से राज्य योजना मद से प्रारंभ की गई है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण होगी, जिसके अन्तर्गत 13525 हेक्टर में तसर खाद्य-पौधों का रोपण कर कीटपालन तथा तसर के कोकुन से सूत उत्पादन किया जायेगा। इसके तहत कीट पालकों को उपस्कर/रसायन उपलब्ध कराये जायेंगे। स्थानीय शिक्षित युवकों

को तसर कीट बीज उत्पादन के लिए सहायता दी जायेगी। सूत उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह गठित कर ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' स्थापित किये जायेंगे। इससे तसर कृषकों के स्वरोजगार एवं आय में वृद्धि होगी।

इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बांका, मुंगेर, नवादा एवं कैमुर जिलों में 790.89 हेक्टर निजी भूमि पर आसन एवं अर्जुन के पौधे लगाये गये जिसके लिए ₹845.08 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

➢ मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना

राज्य सरकार ने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिलों में मलवरी विकास के लिए ₹118.04 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना वर्ष 2016-17 तक चलेगी। इसके तहत कुल 2900 एकड़ में मनरेगा निधि से मलवरी वृक्षारोपण निजी भूमि में कराया जाएगा। राज्य योजना से इन कृषकों को कीटपालन के लिए उपस्कर गृह प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, आर्थिक सहायता आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। सूत एवं वस्त्र उत्पादन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। सूत उत्पादन के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक रीलिंग इकाई स्थापित किये जायेंगे। उत्पादित धागे को ''कोशीकी'' ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जायेगा। भागलपुर के बुनकरों को करघा उन्नयन/नये करघों के क्रय के लिए भी सहायता दी जायेगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कम्युनिटी डेवलपमेन्ट एवं अन्य मानव संसाधन विकास कार्यक्रम कराया जाएगा। मलवरी के अन्य विकासात्मक कार्यक्रम राज्य योजना निधि से संपन्न होगा।

❖ केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.डी.पी.)

केन्द्र प्रायोजित सी.डी.पी. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 211 एकड़ में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया। सिंचाई के लिए 28 समूह को सहायता दी गई। कुल 134 कृषकों को कीटपालन किट्स उपलब्ध कराया गया। 768 व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया। 275 व्यक्ति को अध्ययन भ्रमण कराया गया। 200 अण्डी कृषकों को कीटपालन किट्स वितरित किया गया। इन्हें कीटपालन गृह बनाने के लिए सहायता दी गई।

❖ उद्योग मित्र

उद्योग मित्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के क्रम में मार्गदर्शन, वांछित सलाह, प्रोजेक्ट-प्रोफाईल, आँकड़े आदि सुलभ ढंग से उपलब्ध कराना एवं उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सहयोग करना है। साथ ही विभाग के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से चलाये जा रहे योजनाओं का अनुश्रवण हेतु प्रतिवेदन तैयार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के कुल 583 उद्यमियों को प्रोजेक्ट-प्रोफाईल आँकड़ें/सूचनाएँ आदि से लाभान्वित किया गया है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से सहमति प्राप्त सभी प्रस्तावों का ऑन-लाईन इन्ट्री किया गया।

उद्योग मित्र द्वारा राज्य के उद्यमियों के सफलता की कहानी से संबंधित Success Story नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया।

बिहार में हुये औद्योगिक निवेश के संबंध में उद्योग मित्र के सहयोग से आधे घंटे का एक Documentary Film तैयार किया गया है।

उद्योग मित्र द्वारा राज्य के सभी जिलों का District Profile तैयार किया जा रहा है साथ ही Land Mapping का कार्य भी किया जा रहा है।

उद्योग विभाग द्वारा भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (NMFP) के कार्यान्वयन हेतु उद्योग मित्र को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

उद्योग मित्र द्वारा भारत सरकार के कलस्टर विकास योजनान्तर्गत 13 कलस्टरों के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत Soft Intervention एवं Hard Intervention के माध्यम से प्रशिक्षण, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, समस्याओं के निराकरण, विपणन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उद्योग मित्र के उक्त कार्यों के निष्पादन में सहायता करने हेतु सर्वश्री दारा शॉ एण्ड कं., पटना को -Technical Consultant के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उद्योग मित्र के स्थापना व्यय आदि हेतु ₹ 120.00 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम

➢ उद्यमिता विकास कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेहनती उद्यमियों का चयन कर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उनमें कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी हो/स्वनियोजित हो सके/नियोजन प्राप्त हो सके। उद्यमिता विकास संस्थान, पटना विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजनान्तर्ग ₹ 79.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➢ हस्तकरघा

हस्तकरघा प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट डिजाइन के हस्तकरघा वस्त्र के निर्माण प्रक्रिया में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। छः प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को ₹ 300 प्रति माह छात्रवृति सहित एक वर्ष का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 5.18 लाख स्वीकृत किया गया है। 144 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 116 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किया गया है।

➢ कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक पाँच लाख व्यक्तियों को कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित है।

कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं से अभिरुचि का आमंत्रण के आलोक में सात प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किया गया है, इनके द्वारा राज्य भर में विभिन्न ट्रेडों

यथा:- फ्रूट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड एण्ड भेजिटेबुल, शीटमेटल फैब्रिकेशन, स्क्रीन प्रिन्टिंग, सॉफ्ट ट्वायेज, उडेन फर्नीचर, ग्लास वेयर, लेदर फुटवेयर, इन्डस्ट्रीयल मशीन ऑपरेटर-ग्राइंडिंग-फोर्जिंग, हैण्डलूम टेक्सटाइल, अगरबत्ती मेकिंग, जूट बैग मेकिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, बेसिक सिविंग ऑपरेटर, सोलर इनर्जी सिस्टम सर्विस में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। प्रशिक्षणोपरान्त मान्यता प्राप्त एजेन्सी से 3rd पार्टी एसेसमेन्ट तथा 50-60% प्रशिक्षितों को नियोजन देना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2013-14 में ₹ 467.35 लाख स्वीकृत एवं विमुक्त किया गया है।

❖ आधारभूत संरचना

आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा एवं अरवल तथा जिला उद्योग केन्द्र, प. चम्पारण एवं कटिहार का पुराना कार्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में रहने के कारण नया भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण लि. द्वारा करवाने का निर्णय लिया गया है।

बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर के आधुनिकीकरण के तहत कैड एवं टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब भवन के लिए वर्ष 2013-14 में ₹ 202.00 लाख की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है।

वर्ष 2013-14 में मलवरी प्रसार सह-प्रशिक्षण केन्द्र सहरसा के कार्यालय/कीट पालन आवास एवं रात्रि प्रहरी आवश्यक निर्माण हेतु ₹ 68.57 लाख रेशम संस्थान, भागलपुर में टेस्टिंग लैब हेतु ₹ 202.00 लाख, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर का चहारदिवारी इत्यादि हेतु ₹ 26.25 लाख तथा जिला उद्योग केन्द्र, नवादा का भवन निर्माण हेतु ₹ 26.23 लाख स्वीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल ₹ 325.05 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

❖ खादी प्रक्षेत्र का विकास

➢ खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट

गाँधी जयन्ती के अवसर पर राज्य के अन्तर्गत खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस छूट का लाभ खादी बोर्ड आयोग द्वारा निबंधित संस्था/समिति ले सकती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बुनकरों को लाभ का अवसर प्राप्त होता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 543.36 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वार्षिक कार्यक्रम–2014–15

वार्षिक कार्यक्रम 2014-15

उद्योग निदेशालय

- ❖ मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना का कार्यान्वयन
- ❖ निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना का कार्यान्वयन।
- ❖ कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के स्वनियोजन/नियोजन हेतु उद्यमिता विकास-सह-कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन।
- ❖ हथकरघा एंव हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की योजना का कार्यान्वयन।
- ❖ चक्रीय निधि का सृजन एवं कार्यान्वयन।
- ❖ वेंचर फंड की योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।
- ❖ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006/2011 के अन्तर्गत देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति/अनुदान की योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।
- ❖ कृषि यंत्र उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।
- ❖ बिहार टेक्सटाईल प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।
- ❖ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन करना।
- ❖ प्रवासी भारतीय दिवस 2015 में विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ❖ बिहार उत्सव का आयोजन करना।

तकनीकी विकास निदेशालय

- ❖ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की मध्यावधि समीक्षा।
- ❖ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हेतु टास्क फोर्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग द्वारा विजन डॉक्युमेन्ट तैयार कराना।
- ❖ सिंगल विण्डो क्लियरेंस कोषांग औ. नीति 2006 के तहत उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न विभाग से/बोर्ड से क्लीयरेंस/एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु समय सीमा का निर्धारण।
- ❖ राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेश प्रोत्साहन एवं निदेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन से संबंधित संकल्प में संशोधन।

हस्तकरघा सामान्य प्रक्षेत्र

- ❖ मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना का कार्यान्वयन-
  - ● 100 कलस्टर को चिन्हित करना।
  - ● 6000 बुनकरों को नये करघा क्रय हेतु ₹15000 हजार तथा कॉर्पस फंड के रूप में ₹5000 हजार प्रति बुनकर।

- 2000 बुनकरों को कार्यशाला निर्माण हेतु प्रति बुनकर को ₹ 40,000 हजार।
- भूमि की उपलब्धता के आधार पर भागलपुर एवं बांका में यार्न डिपो की स्थापना।
- भूमि की उपलब्धता के आधार पर भागलपुर जिले में 100 स्टॉल एक बुनकर हॉट निर्माण।

❖ राज्य के विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत टैरिफ अनुदान की योजना-

- 13584 विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर 3.00 रु. प्रति यूनिट का अनुदान।

<u>हस्तकरघा सहकारिता प्रक्षेत्र</u>

❖ बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना योजनान्तर्गत 5000 हस्तकरघा बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड निर्गत करना।

❖ महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना योजनान्तर्गत 1500 हस्तकरघा बुनकरों को बीमित करना।

❖ विपणन सहायता योजनान्तर्गत राज्य के हस्तकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री हेतु एक नेशनल हैण्डलूम एक्सपो, दो स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो एवं दो जिला स्तरीय मेला का आयोजन करना।

❖ नेशनल हैण्डलूम डेभलपमेन्ट कारपोरेशन के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाले 20 शिल्प फैब एवं 02 ऊल फैब मेले में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को भाग लेने हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना।

❖ ''आकाश'' द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाले 25 नेशनल एवं स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को भाग लेने हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना।

<u>रेशम प्रक्षेत्र</u>

❖ रोग मुक्त चकतों का उत्पादन

- मलवरी- 3,,60,000
- तसर- 2,25,000
- अण्डी- 40,000
- प्रशिक्षण- 140 व्यक्ति

❖ मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना अंतर्गत -

- निजी भूमि- 3300 हेक्टर में वृक्षारोपण
- वन भूमि- 4170 हेक्टर में वृक्षारोपण
- कृषक प्रशिक्षण- 946
- कृषक अधययन भ्रमण- 129
- कृषि मेला- 05
- कार्यशाला- 05

❖ मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना अन्तर्गत-
  - वृक्षारोपण- 350 एकड़ भूमि

❖ केन्द्र प्रायोजित सी.डी.पी. योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण-
  - मलवरी- 105 एकड़ भूमि
  - अंडी- 100 एकड़

❖ कच्चे रेशम का उत्पादन-
  - मलवरी - 22 टन
  - तसर - 50 टन
  - अण्डी - 14 टन

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र

❖ मक्का भंडारण हेतु मेज साइलो की प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन अनुदान।

❖ वर्त्तमान राईस मिलों का आधुनिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु योजना स्वीकृति एवं क्रियान्वयन।

❖ आर.ए.बी.सी. के अतिरिक्त 5000 से 10,000 मे.टन कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन।

कृषि रोड मैप सरकार द्वारा निर्धारित तीनों इन्डीकेटर के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित योजना तैयार की गयी है:-

चारों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के बीच वार्षिक लक्ष्य का बंटवारा:-

(A) शीत भंडारण क्षमता लक्ष्य- **10,00,000 मे.टन**

I. (क) आई.एल. एण्ड एफ.एस.- 1.80 लाख टन

(ख) दारॉ शॉ- 1.50 ''

(ग) श्रेयी- 0.50 ''

(घ) स्पा एण्ड हैवे 0.20 ''

II. काम्फेड कोल्ड चेन मिल 6.00 ''

(B) राईस मिलिंग क्षमता लक्ष्य- **22.13 लाख मे.टन**

(क) आई.एल.एण्ड एफ.एस.- 10 लाख मे. टन

(ख) दारॉ शॉ- 6.5 ''

(ग) श्रेयी- 6.0 ''

(घ) स्पा एण्ड हैवे 3.5 ''

(C) अन्य योजनाएँ- 60 इकाई

(क) आई.एल. एण्ड एफ.एस.- 25 इकाई

(ख) दारॉ शॉ- 15 "

(ग) श्रेयी- 12 "

(घ) स्पा एण्ड हैवे 08 "

इसके अलावे निम्नांकित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लक्ष्य:-

1. धान की भूसी पर आधारित पावर प्लांट

(क) आई.एल. एण्ड एफ.एस.- 7 मेगावाट

(ख) दारॉ शॉ- 9.5 "

(ग) श्रेयी- 5 "

(घ) स्पा एण्ड हैवे 6 "

कुल- 27.5 मेगावाट

2. राईस ब्रान खाद्य तेल

इस क्षेत्र में अभी तीन यूनिट अमित सोलभेक्स, सी हॉक एवं JVL कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता 700 टन/ दिवस है। इस दिशा में राज्य को आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रयत्न किए जाएँगे।

3. मक्का पर आधारित उद्योग :-

राज्य के मक्का पर आधारित निम्नांकित उद्योग लगाने की योजना है।

(क) 25 टन/दिवस के 3 प्रसंस्करण इकाइयाँ जिसमें स्टार्च, कैटल फीड, स्नैक्स इत्यादि शामिल है।

(ख) 2.5 लाख मे. टन क्षमता के मेज वेयर हाउस की स्थापना जिसकी कुल संख्या 2 होगी।

(ग) कॉर्न ऑयल मिल की 01 यूनिट स्थापित करने की योजना।

4. फल एवं सब्जी आधारित उद्योग :-

(क) उत्पादन का 3.5 प्रतिशत तक प्रसंस्करण हेतु यूनिट की स्थापना।

(ख) बर्बादी को 5 प्रतिशत वर्ष 2022 तक कम करना।

(ग) प्रत्येक प्रखण्ड में 2 आर.ए.बी.सी. की स्थापना वर्ष 2022 तक किया जाना।

(घ) फल एवं सब्जी आधारित तीन मेगा फूड पार्क की स्थापना वर्ष 2022 तक किया जाना।

5. गेहूँ पर आधारित उद्योग :-

(क) 10 लाख मे. टन क्षमता का आधुनिक बिस्कुट एवं बेकरी फैक्ट्री की स्थापना।

(ख) 300-500 टी.पी.डी. के 7 आधुनिक आटा मिल की स्थापना।

(अ) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र हेतु समेकित विकास योजना।

(क) नयी खाद्य प्रसंस्करण नीति 2014 की मंजूरी प्राप्त करना।

(ख) नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु माह में दो बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्रूभल कमिटी (पी.एम. ए.सी.) की बैठक करना।

(ग) ससमय यूनिटों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन प्राप्त करना।

(घ) अनुदान विमुक्ति की त्वरित कार्रवाई करना।

(ड़) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु हर प्रमण्डलों एवं राज्य के बाहर के मुख्य शहरों में रोड शो का आयोजन।

(च) अनुदान प्राप्त करने वाले इकाइयों का नियमित अनुश्रवण करना।

(छ) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र से जुड़े अधिकारियों/कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य-निष्पादन हेतु राज्य या राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(क) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, सेमिनार, वर्कशॉप मेला इत्यादि का आयोजन ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हो।

(ख) ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) स्थापित इकाइयों के तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण कार्य को प्रोत्साहित करना।

(घ) गैर-बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण क्षमता मे वृद्धि लाने का प्रयास करना।

●